संख्या- 03/2022/834/बयालिस-2022-110(विविध)/2016टी0सी0- 1

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

खेल विभाग **लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2022**

विषय :- उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली- 2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

अधिसूचना संख्या- 731/बयालिस-2022-110(विविध)/2016टी0सी0- 1, दिनांक 25 मई, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 (अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित है।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 03/2022/834(1)/बयालिस-2022-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2)- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(3)- निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
(4)- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
(5)- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(6)- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(7)- सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
(8)- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(9)- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10)- निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश।
(11)- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
(12)- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 500 प्रतियां मुद्रित कराकर खेल अनुभाग को उपलब्ध कराने हेतु।
(13)- सचिवालय के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
खेल अनुभाग
संख्या- 731/बयालिस-2022-110(विविध)/2016टी0सी0- 1
लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2022

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, विनिर्दिष्ट सेवाओं और पदों पर अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के पदक विजेताओं की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनायी है :-

उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-	(1) यह नियमावली " उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 " कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
इस नियमावली का लागू किया जाना	2-	यह नियमावली इस तथ्य के होते हुए भी इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट 'क', 'ख' और 'ग' में विनिर्दिष्ट विभागों/सेवाओं/पदों के लिये लागू होगी कि उक्त परिशिष्टों में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद, यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यकारी अनुदेशों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग/उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट हो।
अध्यारोही प्रभाव	3-	किसी अन्य नियमावली/कार्यकारी अनुदेशों के प्रतिकूल होते हुए भी इस नियमावली के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा।
परिभाषाएं	4-	जब तक कि विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में, - (क) " नियुक्ति प्राधिकारी " का तात्पर्य यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यकारी अनुदेशों में यथा परिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी से है। (ख)(एक) " ओलम्पिक खेलों " का तात्पर्य अन्तर्रा य ओलम्पिक समिति द्वारा चार वर्ष में एक बार संचालित टूर्नामेन्ट से है,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

		(ख)(दो) " पैरालम्पिक खेलों " का तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति द्वारा चार वर्ष में एक बार संचालित टूर्नामेन्ट से है, (ग) " एशियाई खेलों " का तात्पर्य एशियाई ओलम्पिक परिषद द्वारा चार वर्ष में एक बार संचालित टूर्नामेन्ट से है, (घ) " आयोग " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग/उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है, (ड) " कामनवेल्थ खेलों " का तात्पर्य कामनवेल्थ खेल फेडरेशन द्वारा चार वर्ष में एक बार संचालित टूर्नामेन्ट से है, (च) " संविधान " का तात्पर्य भारत का संविधान से है, (छ) " खेल विभाग " का तात्पर्य खेल विभाग उत्तर प्रदेश से है, (ज) " निदेशक " का तात्पर्य निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश से है, (झ) " राज्यपाल " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है, (ञ) " भर्ती " का तात्पर्य परिशिष्ट 'क', 'ख' और 'ग' में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती से है, (ट) " चयन समिति " का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय पदक/विश्व कप विजेताओं की भर्ती हेतु गठित समिति से है, (ठ) " खिलाड़ी " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे मूल निवासी से है, जो ओलम्पिक खेलों या राष्ट्रमण्डल खेलों या एशियाई खेलों या विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप में कोई पदक जीता हो, (ड) " अधीनस्थ आयोग " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है, (ढ) " विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप " का तात्पर्य सम्बन्धित विधा के अन्तर्राष्ट्रीय शीघ्र निकायों द्वारा आयोजित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित चैम्पियनशिप/विश्वकप से है, (ण) " भर्ती वर्ष " का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के प्रथम जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भर्ती का स्रोत	5-	(एक) इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट 'क', 'ख' और 'ग' में विनिर्दिष्ट पदों और सेवाओं पर खिलाडियों की सीधी भर्ती किसी चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, (दो) इस नियमावली के अधीन खिलाडियों की भर्ती हेतु समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे : (क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन- अध्यक्ष (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- सदस्य (ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित विभाग- सदस्य (घ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- सदस्य (ड) निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश- सदस्य-सचिव
पात्रता	6-	(एक) इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती हेतु किसी खिलाडी के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। (दो) दिनांक 01.09.2020 को या उसके पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत चुके खिलाड़ी, इस नियमावली के अधीन भर्ती किये जाने हेतु विचार किये जायेंगे।
शैक्षिक अर्हता	7-	सीधी भर्ती हेतु किसी खिलाड़ी के पास सम्बन्धित सेवा नियमावली/कार्यकारी अनुदेशों में ऐसे पदों पर सीधी भर्ती हेतु सरकार द्वारा विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, यदि कोई हो, होना चाहिये। यदि खिलाडियों के पास अपेक्षित अर्हता न हो, तो उसे सम्बन्धित विभाग में नियुक्ति के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के भीतर अपेक्षित अर्हता अर्जित करनी होगी। परन्तु यह कि नियुक्त किया गया व्य सम्बन्धित सेवा में पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिये तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि वह विहित अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता/लेती है।
भर्ती की प्रक्रिया	8-	(एक) चयन समिति परिशिष्ट 'क', 'ख' और 'ग' में विनिर्दिष्ट पदों और सेवाओं में खिलाडियों की भर्ती निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार करेगी :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

		श्रेणी- 1 ओलम्पिक/पैरालम्पिक खेलों में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक विजेता और विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप (04 वर्षों के अन्तराल पर आयोजित), एशियाई खेलों/कामनवेल्थ खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, परिशिष्ट 'क' में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती हेतु विचार किये जायेंगे। **श्रेणी- 2** विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्षों के अन्तराल पर आयोजित), एशियाई खेलों/कामनवेल्थ खेलों में रजत पदक विजेता, परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती हेतु विचार किये जायेंगे। **श्रेणी- 3** विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्षों के अन्तराल पर आयोजित), एशियाई खेलों/कामनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक विजेता, परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती के लिए विचार किये जायेंगे। (एक) खेल विभाग को सम्बन्धित विभागों से रिक्तियॉं प्राप्त करनी होंगी और निदेशक, खेल को सूचित करना होगा। (दो) इस नियमावली के अधीन खिलाडियों की भर्ती के लिए विज्ञापन, निदेशक, खेल द्वारा व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। (तीन) परिशिष्ट 'क', 'ख' और 'ग' में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक खिलाडियों को परिशिष्ट 'घ' में विहित प्रारूप में निदेशक, खेल को आवेदन करना होगा। (चार) निदेशक, खेल समस्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और पदक विजेताओं की खेल उपलब्धियों का सत्यापन करने के पश्चात इसे खेल विभाग को अग्रसारित करेगा। (पांच) निदेशक, खेल से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् खेल विभाग इसे चयन समिति के समक्ष रखेगा। (छ:) यदि चयन समिति द्वारा आवश्यक समक्षा जाये तो खिलाडियों का साक्षात्कार भी कराया जा सकता है। (सात) चयन समिति सम्यक् विचारोपरान्त ऐसे खिलाडियों की सूची तैयार करेगी जैसा वे भर्ती के लिए उपयुक्त समझे जायें। चयन समिति उक्त सूची खेल विभाग को अग्रसारित करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(आठ) चयन समिति दो माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर सकती है। (नौ) खेल विभाग चयनित खिलाडियों की सूची सम्बन्धित विभाग को चयन हेतु अग्रसारित करेगा। (दस) सूची प्राप्त किये जाने के दिनांक से एक माह के भीरत सम्बन्धित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित खिलाडियों की नियुक्ति की जायेगी। (ग्यारह) चयनित खिलाडियों की गणना उसी श्रेणी के आरक्षण में की जायेगी जिस श्रेणी से वे सम्बन्धित हों अर्थात् आरक्षित श्रेणी के चयनित खिलाड़ी की गणना सुसंगत आरक्षित श्रेणी में की जायेगी और अनारक्षित श्रेणी के खिलाडियों की गणना अनारक्षित श्रेणी के अधीन की जायेगी। (बारह) इस नियमावली के अधीन चयनित खिलाड़ी, यथास्थिति उक्त सेवाओं की सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार पदक्रम सूची में उन अभ्यर्थियों से कनिष्ठ स्थान पर रखे जायेंगे जो उसी वर्ष भर्ती किये गये हों। ऐसे खिलाड़ी, जिनसे पास नियुक्ति के समय अपेक्षित शैक्षिक अर्हता न हो, उनके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से मौलिक रूप से नियुक्त किये गये समझे जायेंगे और पदक्रम सूची में उनकी ज्येष्ठता उक्त सेवाओं की सुसंगत सेवा नियमावलियों के अनुसार उसी वर्ष में भर्ती किये गये अभ्यर्थियों से कनिष्ठ स्थान पर रखी जायेगी।
अन्य उपबन्ध	9-	(एक) नियुक्ति के पश्चात् यदि कोई खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पुन: कोई पदक जीतता/जीतती है तो उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि प्रदान की जायेगी। ऐसे वेतन-वृद्धि की कुल संख्या सम्पूर्ण सेवाकाल में पांच से अधिक नहीं होगी। **<u>टिप्पणी :-</u>** रियायत प्रदान किये जाने के समय देय अगली वेतन-वृद्धि की धनराशि के बराबर प्रदान की गयी वेतन-वृद्धि सेवानिवृत्ति तक व्यक्तिगत वेतन स्वरूप उसी दर पर आहरित की जाती रहेगी किन्तु इसकी गणना, किसी अन्य सेवा प्रकरण यथा पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण, सेवानिवृतिक लाभ या मंहगाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		भत्ता/नगर प्रतिपूरक भत्ता/मकान किराया भत्ता आदि हेतु नहीं की जायेगी। (दो) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के पश्चात् यदि कोई खिलाड़ी, अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में सक्रिय खिलाड़ी के रूप में, पहले से उच्च श्रेणी में, पुन: कोई पदक जीतता है तो वह तत्पश्चात् परिशिष्ट 'क', 'ख' तथा 'ग' में विनिर्दिष्ट उच्चतर वेतनमान के पद/सेवा के लिये आवेदन कर सकता/सकती है। (तीन) इस नियमावली में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित न किये गये प्रकरणों में, इस नियमावली के अधीन भर्ती किया गया खिलाड़ी, सम्बन्धित विभाग के सुसंगत सेवा नियमावली/कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित होगा। (चार) इस नियमावली के अधीन भर्ती किये गये खिलाड़ी की सेवाओं का उपयोग सम्बन्धित विभाग द्वारा कोचिंग के माध्यम से खेलों के उत्थान एवं विकास के लिये किया जा सकता है। यदि कोई खिलाड़ी सक्रिय रहता/रहती है तो उसे नियुक्त किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष तक खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।
पक्ष-समर्थन	10-	किसी पद या सेवा के लिये लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न लिखित या मौखिक सिफारिशों पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने अभ्यर्थन के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध किये जाने हेतु किया जाने वाला कोई प्रयास, उसे भर्ती के लिये निरर्ह घोषित कर देगा।
नियमावली का शिथिलीकरण	11-	जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा इस नियमावली के किसी उपबन्ध को समाप्त या शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट- 'क'

क्रमांक	सेवा का नाम व विभाग	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	उत्तर प्रदेश प्रान्तीय विकास सेवा। ग्रामीण विकास।	खण्ड विकास अधिकारी	04	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 10 रू0 56100-177500
2	उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा। बेसिक शिक्षा।	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।	01	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 10 रू0 56100-177500
3	उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा। माध्यमिक शिक्षा विभाग।	सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक	02	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 10 रू0 56100-177500
4	उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा। गृह विभाग।	पुलिस उप अधीक्षक	07	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 10 रू0 56100-177500
5	उत्तर प्रदेश पंचायतीराज विभाग सेवा। पंचायतीराज विभाग।	जिला पंचायतीराज अधिकारी	02	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 10 रू0 56100-177500

परिशिष्ट- 'ख'

क्रमांक	सेवा का नाम व विभाग	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा। युवा कल्याण विभाग।	जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	02	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 8 रू0 47600-151100

परिशिष्ट- 'ग'

क्रमांक	सेवा का नाम व विभाग	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा। परिवहन विभाग।	यात्रीकर/मालकर अधिकारी	02	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 7 रू0 44900-142400
2	उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा। वन विभाग।	क्षेत्रीय वन अधिकारी	02	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 6 रू0 35400-112400
3	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (नायब तहसीलदार) सेवा। राजस्व विभाग।	नायब तहसीलदार	02	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 6 रू0 35400-112400

टिप्पणी :- परिशिष्ट- 'क', 'ख' और 'ग' में उल्लिखित पद संख्याएं पहले से ही उनके अपने अपने संवर्ग की पद संख्याओं में सम्मिलित हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट- 'घ'

आवेदन का प्रारूप

अधिमान क्रम पद का नाम

पासपोर्ट आकार का छायाचित्र

1-
2-
3-
4-
5-

1- नाम
2- पिता का नाम
3- माता का नाम
4- लिंग (पुरूष/महिला)
5- राष्ट्रीयता
6- शैक्षिक अर्हता
7- जन्मतिथि
8- श्रेणी (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य)
9- धर्म
10- वैवाहिक प्रास्थिति (विवाहित/अविवाहित)
11- खेल उपलब्धियॉं
12- वर्तमान पता
13- स्थायी पता
14- आधार संख्या
15- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास प्रमाण-पत्र

घोषणा

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार शुद्ध और सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान :

दिनांक :

नाम और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

संलग्नक :

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the following in this translation of notification No. 731/42-2022-110(Vividh)/2016TC- I, dated may 25 , 2022

UTTAR PRADESH GOVERNMENT
KHEL ANUBHAG

NOTIFICATION
Miscellaneous

No- 731/42-2022-110(Vividh)/2016TC- I
Lucknow : Dated : 25 , 2022

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following Rules regulating the recruitment of international games medal winners of Uttar Pradesh to the specific services and posts.

THE UTTAR PRADESH INTERNATIONAL GAMES MEDAL WINNERS ,DIRECT RECRUITMENT RULES- 2022

Short title Commencement	1.	(1) These Rules may be called 'The Uttar Pradesh International Games Medal Winners, Direct Recruitment Rules, 2022.' (2) They shall come into force at once.
Application of these rules	2.	They shall apply to the Departments/ Services/ Posts specified in Appendix A, B and C appended to these rules notwithstanding the fact that any of the posts specified in the said appendices is specified in the purview of Uttar Pradesh Public Service Commission/Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission in the relevant service rules or executive instructions as the case may be.
Overriding effect	3.	Notwithstanding anything to the contrary in any other rules/executive instructions, provisions of these rules shall have overriding effect.
Definitions	4.	In these Rules unless the context otherwise requires,- (a) "Appointing authority" means an appointing authority as defined in relevant service rules or executive instructions, as the case may be; (b)(1) "Olympic Games" means the tournament conducted by International Olympic Committee once in four years; (b)(2) “Paralympic Games” means the tournament conducted by International Paralympics Committee once in four years;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(c) "Asian Games" means the tournament conducted by the Olympic Council of Asia once in four years;

(d) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission / Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission;

(e) "Commonwealth Games" means the tournament conducted by the Commonwealth Games Federation once in four years;

(f) "Constitution" means the Constitution of India

(g) "Department of Sports" means Department of Sports, Uttar Pradesh;

(h) "Director" means the Director of Sports, Uttar Pradesh;

(i) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(j) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(k) "Recruitment" means recruitment to posts specified in Appendix A,B and C;

(l) "Selection Committee" means the committee constituted for the recruitment of international medal / world cup winners under these rules;

(m) "Sportsperson" means a bonafide domicile of Uttar Pradesh, who has won a medal in Olympic games or Commonwealth Games or Asian Games or World Championship / World Cup;

(n) "Subordinate Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;

(o) "World Championships / World Cup" means the Championship / World Cup organized by the International Apex Bodies of the concerned discipline and approved by Government of India;

(p) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

Source of Recruitment

5. (i) The Sportspersons shall be recruited directly through a selection committee to the posts and services specified in Appendix A, B and C appended to these rules.

(ii) The committee for recruitment of Sportspersons under these rules shall consist of :-

(a) Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh - Chairperson

(b) Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary Department of Sports Government of Uttar Pradesh - Member

(c) Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary of the concerned department – Member

(d) Additional Chief Secretary / Principal Secretary /

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Secretary, Department of Personnel (Karmik Vibhag), Government of Uttar Pradesh – Member
(e) Director, Sports Uttar Pradesh- Member Secretary

Eligibility

6. (i) A sportsperson for direct recruitment under these rules must be a bonafide domicile of Uttar Pradesh.

(ii) Sportspersons who have won medals on or after 01-09-2020 in international games shall be considered for recruitment under these rules.

Academic Qualification

7. A sportsperson for direct recruitment should possess the minimum educational qualifications and experience, if any, prescribed by Government for direct recruitment to such posts in the concerned service rules/executive instructions. If the Sportsperson does not possess the requisite qualification, he/she shall have to acquire requisite qualification within the period of seven years from the date of appointment in the concerned department.

Provided that the appointee shall not be eligible for consideration for promotion in concerned service till he/she acquires the prescribed qualifications.

Procedure for Recruitment

8. (i) The selection committee shall recruit the sportspersons to the posts and services specified in Appendix A, B and C in accordance with following criteria:-

Category 1

Winners of Gold, Silver, Bronze medals in Olympic/Paralympic Games and Gold Medal winners of World Championship/World Cup (being organized at the interval of 4 years) Asian Games/Commonwealth Games shall be considered for recruitment to the posts specified in Appendix A.

Category 2

Silver medal winner in World Cup/World Championship (being organized at the interval of 4 years) Asian Games/Commonwealth Games shall be considered for recruitment to the posts specified in Appendix B.

Category 3

Bronze medal winner in World Cup/World Championship (being organized at the interval of 4 years) Asian Games/Commonwealth Games shall be considered for recruitment to the posts specified in Appendix C.

(i) The Department of Sports shall obtain vacancies from the concerned departments and intimate it to the Director of Sports.

(ii) An advertisement for the recruitment of sportsperson under these rules shall be published by, the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Director of Sports, in the daily newspapers having wide circulation.

(iii) Sportspersons desirous of recruitment to the post specified in Appendix A,B and C shall have to apply to ,the Director of Sports, in the format prescribed in Appendix D.

(iv) The Director of Sports, shall scrutinize all the applications and after verification of sporting achievements of medal winners forward it to Department of Sports.

(v) After receiving applications from the Director of Sports, the Department of Sports, will place it before the Selection Committee.

(vi) Interview of sportspersons may be conducted, if found necessary by the Selection Committee.

(vii) The Selection Committee after due consideration shall prepare the list of sportspersons as they consider fit for recruitment. The Committee shall forward the list to the Department of Sports.

(viii) The Selection Committee may complete the recruitment process within two months.

(ix) The Department of Sports shall forward the list of selected sportspersons to concerned department for appointment.

(x) The appointment of selected sportspersons shall be made by the appointing authority of concerned department within a month from the date of receipt of list.

(xi) The selected sportspersons shall be counted in the same category of reservation to which category they belong.i.e.selected sportsperson of the reserved category shall be counted in the relevant reserved category and those of unreserved category shall be counted under unreserved category.

(xii) Sportspersons selected under these Rules shall be placed, in the Gradation list, junior to the candidates who have been recruited in the same year in accordance with the relevant service Rules of the said services or the executive instructions as the case may be.

Such sportspersons who do not have requisite educational qualification at the time of appointment, shall be deemed to be substantially appointed from the date he/she produces the certificate of requisite educational qualification to the appointing authority and their seniority shall be placed in the Gradation list, junior to the candidates recruited in the same year in accordance with the relevant Service Rules of said services.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Other Provisions	9.	(i) After appointment if a sportsperson again wins a medal in international games, he/she will be awarded an additional increment as personal pay. The total number of such increments shall not be more than five in entire service period. Note :- the increment so granted, equal to the amount of the next increment due at the time grant of concession, would continue to be drawn at the same rate till retirement as personal pay but this will not count for any other service matter like pay fixation on promotion, retirement benefits or D.A./C.C.A, H.R.A. etc. (ii) After appointment under these rules if a sportsperson again wins a medal as active sportsperson in international games in a higher category to the previous one in international games he/she can apply for a higher scale post/service specified in Appendix A, B and C. (iii) In matters not specifically provided for in these Rules a sportsperson recruited under these Rules shall be governed by the relevant service rules/executive instructions of concerned department. (iv) The services of sportsperson recruited under these rules may be utilized for upliftment and development of sports through coaching by the concerned department. If a sportsperson remains active, he/she shall be encouraged to participate in sports activities for five years from the date of appointment.
Canvassing	10.	No recommendations, either written, or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist directly or indirectly for his/her candidature will disqualify him/his for recruitment.
Relaxation Of Rules	11.	Where the State Government is satisfied that it is necessary or expedient to do so, it may notwithstanding contained in the rules, by order dispense with or relax any of the provisions of these rules.

By Order,

(Kalpana Awasthi)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

APPENDIX-A

S. no.	Name of Service and Department	Name of Post	No. of Post	Pay Scale
1.	The Uttar Pradesh Provincial Development Service. Rural Development.	Block Development Officer	04	Pay Matrix Level-10 Rs56100-177500
2.	The Uttar Pradesh Educational (General Education Cadre) Service. Basic Education Department.	District Basic Education Officer	01	Pay Matrix Level-10 Rs56100-177500
3.	The Uttar Pradesh Educational (General Education Cadre) Service. Secondary Education Department.	Assistant Deputy Inspector of Schools	02	Pay Matrix Level-10 Rs56100-177500
4.	The Uttar Pradesh Police Service. Home Department.	Deputy Superintendent of Police.	07	Pay Matrix Level-10 Rs56100-177500
5.	The Uttar Pradesh Panchayati Raj Department Service. Panchayati Raj Department.	District Panchayat Raj officer.	02	Pay Matrix Level-10 Rs56100-177500

APPENDIX-B

S.no.	Name of Service and Department	Name of Post	No. of Post	Pay Scale
1.	The Uttar Pradesh Youth Welfare and Prantiya Rashak Dal/Pradeshik Vikas Dal Officers Service. Youth Welfare Department.	District Youth Welfare and Pradesik vikas Dal officer	02	Pay Matrix Level-8 Rs47600-151100

APPENDIX-C

S.no.	Name of Service and Department	Name of Post	No. of Post	Pay Scale
1.	The Uttar Pradesh Transport Taxation (Subordinate) Service. Transport Department.	Passenger Tax/Goods Tax Officer	02	Pay Matrix Level-7 Rs44900-142400
2.	The Uttar Pradesh Range Forest Officer Service. Forest Department	Range Forest Officer	02	Pay Matrix Level-6 Rs 35400-112400
3.	The Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Naib tahsildars) service. Revenue Department.	Naib Tahsildar	02	Pay Matrix Level-6 Rs35400-112400

Note :- The number of posts mentioned in the appendix A, B and C are already included in the number of posts of their respective cadre.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Paste Passport Size Photograph

APPENDIX- D

Application Format

Preference Order Name of Post

1 Father's name
2 Mother's name
3 Sex (male / female)
4 Nationality
5 Educational qualification.

1 Name
2 Father's name
3 Mother's name
4 Sex (male / female)
5 Nationality
6 Educational qualification.
7 Date of birth
8 Category (ST / SC / OBC / Gen.)
9 Religion
10 Marital Status (married / unmarried)
11 Sporting Achievements
12 Present address
13 Permanent address
14 Aadhaar number
15 Domicile certificate issued by the Competent Authority

UNDERTAKING

I do hereby undertake that the above information given by me is correct and true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Place:

Date:

Name & Signature of candidate

Enclosures:

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।